रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2010/भाद्र 24, 1932

No. 519] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2010/BHADRA 24, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 759(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"19. **अंतः संवर्ग स्थानान्तरण**—(1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, एक संवर्ग इकाई से किसी श्रेणी के किसी संवर्ग अधिकारी को अन्य संवर्ग इकाई में स्थानान्तरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और संबंधित संवर्ग इकाई का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित अधिकारी को स्थानान्तरण आदेश की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, यदि कोई हो, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञात की जाए, भारोन्मुक्त कर दे ।

(2) यदि कोई अधिकारी उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट पैंतालीस दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर भारोन्मुक्त नहीं किया जाता है, तो उस अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस संवर्ग इकाई द्वारा, जिसमें वह कार्यरत है, भारोन्मुक्त कर दिया गया है और तत्पश्चात् वह अधिकारी उस संवर्ग इकाई से, जहां से संवर्ग अधिकारी का स्थानान्तरण हुआ था, ऐसी अधिक रुकने की अवधि के लिए कोई वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।"

[फा. सं. 1/8/2009-सी.एस.-1(पी)]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. 140 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2010

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Secretariat Service Rules, 2009, namely :

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 19 of the Central Secretariat Service Rules, 2009, the following rule shall be substituted, namely :—

"19. **Inter-cadre transfers.**—(1) The Department of Personnel and Training shall be the competent authority to transfer a cadre officer of any Grade from one cadre-unit to another cadre-unit and it shall be the duty of the concerned cadre unit to relieve the officer concerned within forty-five days on receipt of the transfer order or such further period, if any, allowed by the Department of Personnel and Training, for reasons to be recorded in writing.

(2) If an officer is not relieved within forty-five days or such further period as referred to in sub-rule (1), the officer shall be 'deemed' to have been relieved by the cadre-unit in which he is working and thereafter the officer shall not be entitled to draw any salary and allowances for the period of such overstay from the cadre-unit from where the cadre officer was transferred."

[F. No. 1/8/2009-CS.I(P)]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R. 140(E), dated the 27th February, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.